# फर्द अहकाम

रामफूल बनाम भगवान सहाय

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 134/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 27/2/25 | पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 20/3/25 को पेश हो। | |
| | 20/3/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 8/5/25 को पेश हो। | |
| | 8/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी ओमाराम पुत्र कजोड उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश कि जो शामिल पत्रावली है। वादी के बयान हुए। एवं दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किए। वादीगण और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/5/25 को पेश हो। | [illegible] 8/5/2025 |
| | 23/05/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/05/25 को पेश हो। | |
| | 30/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश | |

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर चिन्तन, मनन व विचार के उपरान्त वादीगण का दावा / वाद बाबत घोषणा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण ~~डिक्रि~~ डिक्री किया जाता है। पृथक से विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>30/5/25 |

## न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 134/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/00249

1. रामफूल पुत्र स्व0 कजोड़
2. विष्णु पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र स्व0 कजोड़
3. दिनेश पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र स्व0 कजोड़
4. रामजीलाल पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र कजोड़
5. घमा पत्नि स्व0 भागीरथ पुत्रवधु स्व0 कजोड़
6. भोमाराम पुत्र स्व0 कजोड़
7. गोरधन पुत्र स्व0 कजोड़
8. लालाराम पत्रु स्व0 कजोड़
9. ज्योति पत्नि स्व0 कजोड़

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पीपलाबाई, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. भगवान सहाय पुत्र सदाराम
2. लक्ष्मण पुत्र भगवानसहाय
3. भूदीराम पुत्र भगवानसहाय
4. बल्लायाराम पुत्र लक्ष्मण
5. मंगल पुत्र रामनारायण
6. किशोर पुत्र मंगलराम

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पीपलाबाई, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

--तरतीबी प्रतिवादी

## दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः-

1- श्री सुधीर शर्मा अभिभाषक वादीगण
2- प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

30/5/25

## -:निर्णय:- दिनांक 30.05.25

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.07.2024 को एक दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.07.2024 को दावा संख्या 134/2024 बउनवानी रामफूल वगैरह बनाम भगवानसहाय वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम पीपलाबाई, पटवार हल्का बराला, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3783 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि को वाद पत्र में "भूमि वादग्रस्त" शब्द से सम्बोधित करते हुए कथन किया कि पूर्व में उक्त भूमि वादग्रस्त के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्व हितधारी स्व0 कजोड़ पुत्र बिरदा थे एवं उनकी मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण उनके विधिक वारिसान होने के कारण विरासत के आधार पर कानूनन खातेदार हो चुके है एवं भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का वादीगण ही उक्त हक व अधिकारो की भूमि वादग्रस्त से कानूनन कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं प्रतिवादीगण के कानूनन हक व अधिकार नहीं बनते है व प्रतिवादीगण अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर वादीगण की उक्त उनके पूर्व हितधारी स्व0 कजोड़ पुत्र बिरदा से विरासत के आधार पर प्राप्त भूमि वादग्रस्त पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाल रहे है।

दिनांक 08.07.2024 को प्रतिवादीगण अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादीगण के हक व अधिकारों व कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त पर आ गये एवं जबरन कब्जा करने लगे एवं वादीगण को बेदखल करने लगे एवं पुख्ता निर्माण करने के लिए नींव की खुदाई करने लगे एवं पुख्ता निर्माण सामग्री पत्थर, बजरी डालने लगे एवं वादीगण द्वारा मना करने पर झगड़ा किया व वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि आपको जबरन बेदखल कर उक्त आपके हक व अधिकारो व कब्जे की भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण कर मकानात बनाकर रहेगे एवं आपको जो करना हो, कर लेना। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण को विनायदावा दिनांक 08.07.2024 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।

वादीगण का वाद अरजेन्सी प्रकृति का है एवं वादीगण द्वारा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार बस्सी को दावा दायरी से 2 माह पूर्व का धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है एवं उक्त नोटिस से छूट प्राप्त करने हेतु अलग से धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

30/5/25

वादीगण के वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र निर्धारित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है एवं अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वादीगण का वाद पत्र के आधार पर चाहा गया अनुतोष निम्न है-

(क) वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा का डिक्री किया जावे व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के खातेदार मृतक खातेदार स्व0 कजोड़ पुत्र बिरदा के वारिसान होने के कारण वादीगण को घोषित किया जावे व भूमि वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर मृतक खातेदार कजोड़ पुत्र स्व0 बिरदा के स्थान पर वादीगण का नाम हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

(ख) वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जावे व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के सम्वन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को जबरन् बेदखल नहीं करे, न ही वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाले, न ही पुख्ता निर्माण करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, इत्यादि।

वादीगण ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2024 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि0 नोटिस से करने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे एक माह से अधिक समय हो चुका है। रजिस्ट्री की डाक रसीदे शामिल पत्रावली है। रजिस्टर्ड लिफाफे लौटकर प्राप्त नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की सम्यक् तामील मानी जाकर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

दिनांक 08.05.2025 को वादीगण की ओर से **मौखिक साक्ष्य में** वादी भोमाराम पुत्र कजोड़ का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है। उक्त गवाह को मुख्य परीक्षण में परीक्षित करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की प्रतिलिपि को प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्य अखण्डनीय व अकाट्य रहें है। वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को साबित किया है, इत्यादि तर्को के आधार पर वादीगण का वाद पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी.पी.

30/5/25

सी. का निस्तारण किया जा रहा है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वाद अर्जेण्ट नेचर का बताया गया है तथा वाद पत्र की मद संख्या 4 व 6 में वाद पत्र अर्जेण्ट होने के तथ्य दर्ज किये है, जिनके आधार पर न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण पर वादी ने अपने वाद पत्र में अभिकथित किया कि राजस्व ग्राम पीपलाबाई, पटवार हल्का बराला, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3783 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि को वाद पत्र में "भूमि वादग्रस्त" शब्द से सम्बोधित करते हुए कथन किया कि पूर्व में उक्त भूमि वादग्रस्त के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्व हितधारी स्व0 कजोड़ पुत्र बिरदा थे एवं उनकी मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण उनके विधिक वारिसान होने के कारण विरासत के आधार पर कानूनन खातेदार हो चुके है एवं भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का वादीगण ही उक्त हक व अधिकारो की भूमि वादग्रस्त से कानूनन कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं प्रतिवादीगण के कानूनन हक व अधिकार नहीं बनते है एवं प्रतिवादीगण अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर वादीगण की उक्त उनके पूर्व हितधारी स्व0 कजोड़ पुत्र बिरदा से विरासत के आधार पर प्राप्त भूमि वादग्रस्त पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाल रहे है। दिनांक 08.07.2024 को प्रतिवादीगण अपने परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादीगण के हक व अधिकारों व कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त पर आ गये एवं जबरन कब्जा करने लगे एवं वादीगण को बेदखल करने लगे एवं पुख्ता निर्माण करने के लिए नींव की खुदाई करने लगे एवं पुख्ता निर्माण सामग्री पत्थर, बजरी डालने लगे एवं वादीगण द्वारा मना करने पर झगड़ा किया व वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि आपको जबरन बेदखल कर उक्त आपके हक व अधिकारो व कब्जे की भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण कर मकानात बनाकर रहेगे एवं आपको जो करना हो, कर लेना। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को बिनायदावा दिनांक 08.07.2024 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादीगण ने अपने कथनो के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 को प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है जिसमें राजस्व ग्राम पीपलाबाई, पटवार हल्का बराला, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 5 पुराना 3 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3783 हैक्टेयर की एकल खातेदारी कजोड़ पुत्र मु0 बिरदा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह दर्ज रिकार्ड है तथा वादीगण ने उक्त खातेदार की मृत्यु होने व वादीगण मृतक खातेदार के वारिसान होने का कथन किया है तथा अपनी मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र में भी अपने वाद पत्र के तथ्यो की ताईद की है। वादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डनीय व अकाट्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

अतएव वादीगण का वाद बाबत् घोषणात्मक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपलाबाई, पटवार हल्का बराला, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 5 पुराना 3 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3783

30/5/25

हैक्टेयर के मृतक खातेदार स्व0 कजोड़ पुत्र मु0 बिरदा के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, बस्सी को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल करे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त भूमि में वादीगण को जबरन् बेदखल नहीं करे, न ही वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाले, न ही पुख्ता निर्माण करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही पर यह स्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगी। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

30/5/25

शिप्रा जैन<br>
(आर.ए.एस.)<br>
सहायक कलक्टर, बस्सी<br>
जिला जयपुर।

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई
# (ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

## न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 134/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/00249

1. रामफूल पुत्र स्व0 कजोड़
2. विष्णु पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र स्व0 कजोड़
3. दिनेश पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र स्व0 कजोड़
4. रामजीलाल पुत्र स्व0 भागीरथ पौत्र कजोड़
5. घमा पत्नि स्व0 भागीरथ पुत्रवधु स्व0 कजोड़
6. भोमाराम पुत्र स्व0 कजोड़
7. गोरधन पुत्र स्व0 कजोड़
8. लालाराम पत्रु स्व0 कजोड़
9. ज्योति पत्नि स्व0 कजोड़

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पीपलाबाई, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. भगवान सहाय पुत्र सदाराम
2. लक्ष्मण पुत्र भगवानसहाय
3. भूदीराम पुत्र भगवानसहाय
4. बल्लायाराम पुत्र लक्ष्मण
5. मंगल पुत्र रामनारायण
6. किशोर पुत्र मंगलराम

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम पीपलाबाई, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

--तरतीबी प्रतिवादी

## दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू --------------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत्

30/5/25

घोषणात्मक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपलाबाई, पटवार हल्का बराला, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 5 पुराना 3 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 1.3783 हैक्टेयर के मृतक खातेदार स्व0 कजोड़ पुत्र मु0 बिरदा के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, बस्सी को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल करे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त भूमि में वादीगण को जबरन् बेदखल नहीं करे, न ही वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाले, न ही पुख्ता निर्माण करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही पर यह स्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगी। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ------------ को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 30.05.25 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

| मुद्धई | रूपया | पैसे | मुद्धायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिशनर बाबत् इजराय | | | फीस कमिशनर बाबत् इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

30/5/25
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर